[2020] 2 उम. नि. प. 449

श्याम लाल देवड़ा और अन्य

बनाम

परिमला

[2020 की दांडिक अपील सं. 1410]

22 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमति, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 18, 19 और 20 – प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपने पति, सास-ससुर और दूसरे राज्यों में रहने वाले पति के अन्य नातेदारों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के अभिकथन किया जाना – पति, सास-ससुर के सिवाय पति के अन्य नातेदारों के विरुद्ध घरेलू हिंसा करने के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन न किया जाना – जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला द्वारा पति के अन्य नातेदारों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं किए गए हों, वहां ऐसे नातेदारों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला न बनने के कारण उनके विरुद्ध आपराधिक मामले को जारी नहीं रखा जा सकता है और उसे अभिखंडित करना उचित होगा ।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 – धारा 27 – घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद ग्रहण करने की न्यायालय की अधिकारिता – घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद उस न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, जिसकी राज्यक्षेत्रीय सीमा के भीतर "व्यथित व्यक्ति" स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है और चूंकि प्रत्यर्थी-पत्नी अपने माता-पिता के साथ महानगर मजिस्ट्रेट बंगलुरु की राज्यक्षेत्रीय सीमा में रह रही है, इसलिए उसे परिवाद को ग्रहण करने और अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता थी ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, प्रत्यर्थी-पत्नी और अपीलार्थी सं. 14 - मनोज कुमार का विवाह तारीख 1 मई, 2006 को हिंदू रीति-रिवाज और राजस्थान में रूढ़ियों के अनुसार हुआ था । विवाह के पश्चात्, प्रत्यर्थी चेन्नई में अपने दांपत्य-गृह में अपीलार्थी सं. 14 के साथ, अपीलार्थी सं. 1 और 2 सहित, जो अपीलार्थी सं. 14 के माता-पिता हैं, रह रही थी । अप्रैल, 2014 में अपीलार्थी सं. 14 और प्रत्यर्थी-पत्नी प्रत्यर्थी की बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए चेन्नई से बंगलुरु गए । उक्त विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी ने कुछ समय के लिए बंगलुरु में रहने की इच्छा व्यक्त की, जिसे अपीलार्थी सं. 14 द्वारा यह सोचकर स्वीकार कर लिया गया कि प्रत्यर्थी थोड़े समय के लिए अपने माता-पिता के घर ठहरेगी । अपीलार्थियों के अनुसार, प्रत्यर्थी ने उसके पश्चात् अपने दांपत्य-गृह में जाने या अपीलार्थी सं. 14 के साथ सहवास करने से मना कर दिया । अपीलार्थी सं. 14 ने दांपत्य अधिकारों के प्रत्यावर्तन के लिए कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन 2015 की मूल याचिका सं. 11355 फाइल की । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने स्वयं को घरेलू हिंसा से पीड़ित होने का दावा करके अधिनियम की धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश धारा 19 के अधीन निवास के लिए आदेश तथा धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष की ईप्सा करते हुए अपने पति-अपीलार्थी सं. 14, अपने सास-ससुर - अपीलार्थी सं. 1 और 2 और अपने पति के अन्य नातेदारों, जो चेन्नई, राजस्थान और गुजरात में हैं, के विरुद्ध महानगर मजिस्ट्रेट, बंगलुरु के न्यायालय के समक्ष 2015 का दांडिक प्रकीर्ण सं. 53 फाइल किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट, बंगलुरु ने तारीख 16 अप्रैल, 2015 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थियों को सूचना जारी की कि इस न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई याचिका को ग्रहण करने की अधिकारिता है । अपीलार्थियों ने 2015 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 53 में समन जारी करने से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की और महानगर मजिस्ट्रेट, बंगलुरु की फाइल पर 2015 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 53 में की संपूर्ण कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की ईप्सा की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए

खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए परिवाद में प्रत्यर्थी ने भिन्न-भिन्न स्थानों अर्थात् चेन्नई, राजस्थान और गुजरात में घरेलू हिंसा के विभिन्न दृष्टांतों का वर्णन किया गया है और इसलिए बंगलुरु में फाइल किया गया परिवाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अधीन कायम रखने योग्य है । अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेश के संबंध में है । अधिनियम की धारा 18 के निबंधनों के अनुसार, विधान-मंडल का आशय स्त्री को अधिक संरक्षण प्रदान करना है । अधिनियम की धारा 20 में "व्यथित पक्षकार" को धनीय अनुतोष के लिए आदेश करने के लिए न्यायालय को सशक्त किया गया है । जब घरेलू हिंसा के कृत्यों का अभिकथन किया जाता है, तो सूचना जारी करने से पूर्व न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या यह समाधान कर लेना चाहिए कि घरेलू हिंसा के दृष्टांत रहे हैं । प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी ने चौदह अपीलार्थियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के अभिकथन किए हैं । अपीलार्थी सं. 14 प्रत्यर्थी का पति है और अपीलार्थी सं. 1 और 2 सास-ससुर हैं । अपीलार्थी सं. 3, 5, 9, 11 और 12 प्रत्यर्थी के ससुर के भाई हैं । अपीलार्थी सं. 4, 6 और 10 क्रमश: अपीलार्थी सं. 3, 5 और 9 की पत्नियां हैं । अपीलार्थी सं. 7 और 8 अपीलार्थी सं. 1 के माता-पिता हैं । अपीलार्थी सं. 1 से 6 और 14 चेन्नई के निवासी हैं । अपीलार्थी सं. 7 से 10 राजस्थान राज्य के निवासी हैं और अपीलार्थी सं. 11 से 13 गुजरात राज्य के निवासी हैं । स्वीकृतत:, प्रत्यर्थी और अपीलार्थी सं. 1 का दांपत्य-गृह चेन्नई में था । जहां तक अपीलार्थी सं. 14 - प्रत्यर्थी के पति और अपीलार्थी सं. 1 और 2, सास-ससुर का संबंध है, यह अभिकथन करते हुए घरेलू हिंसा के अभिकथन किए गए हैं कि उन्होंने प्रत्यर्थी के माता-पिता द्वारा विवाह के दौरान उसे उपहार में दिए गए जेवरात छीन लिए थे और प्रत्यर्थी को तंग करने के अभिकथित कृत्य किए थे । ऐसे कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं हैं कि अपीलार्थी सं. 14 के अन्य नातेदारों ने कैसे घरेलू हिंसा के कृत्य किए थे । यह भी ज्ञात नहीं हैं अन्य नातेदारों को, जो गुजरात और राजस्थान के निवासी हैं, कैसे प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष देने के

लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । उच्च न्यायालय का यह कहना ठीक नहीं था कि अन्य अपीलार्थियों सं. 3 से 13 के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । चूंकि अपीलार्थी सं. 3 से 13 के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किए गए हैं, इसलिए उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा का आपराधिक मामला जारी नहीं रखा जा सकता है और अभिखंडित किए जाने योग्य है । (पैरा 8 और 9)

घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन याचिका उस न्यायालय में फाइल की जा सकती है, जहां "व्यथित व्यक्ति" स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है । प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के साथ महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, बंगलुरु की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर निवास कर रही है । अधिनियम की धारा 27(1)(क) को देखते हुए, महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, बंगलुरु को परिवाद ग्रहण करने और अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता है । महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, बंगलुरु की अधिकारिता के बारे में आक्षेप करते हुए दी गई दलील में कोई गुणागुण नहीं है । (पैरा 10)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 1410.

2015 की दांडिक अपील सं. 5959 कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलुरु के तारीख 18 फरवरी, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री लक्ष्मी आर. राव और सुश्री पल्लवी सेन गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री निधि, श्री वैसल दाथन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) बानुमती – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील 2015 की दांडिक याचिका सं. 5959 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलुरु द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2019 को पारित

किए गए उस आक्षेपित निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई याचिका को यह उल्लेख करते खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें आगे घरेलू हिंसा से "महिला संरक्षण अधिनियम" कहा गया है) की धारा 18, 19 और 20 के अधीन फाइल किए गए परिवाद को मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बंगलुरु को ग्रहण करने की अधिकारिता है ।

3. वे संक्षिप्त तथ्य, जिनके आधार पर यह अपील फाइल की गई है, निम्नलिखित हैं :–

प्रत्यर्थी-पत्नी और अपीलार्थी सं. 14 - मनोज कुमार का विवाह तारीख 1 मई, 2006 को हिंदू रीति-रिवाज और राजस्थान में रूढ़ियों के अनुसार हुआ था । विवाह के पश्चात्, प्रत्यर्थी चेन्नई में अपने दांपत्य-गृह में अपीलार्थी सं. 14 के साथ, अपीलार्थी सं. 1 और 2 सहित, जो अपीलार्थी सं. 14 के माता-पिता हैं, रह रही थी । अप्रैल, 2014 में अपीलार्थी सं. 14 और प्रत्यर्थी-पत्नी प्रत्यर्थी की बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए चेन्नई से बंगलुरु गए । उक्त विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी ने कुछ समय के लिए बंगलुरु में रहने की इच्छा व्यक्त की, जिसे अपीलार्थी सं. 14 द्वारा यह सोचकर स्वीकार कर लिया गया कि प्रत्यर्थी थोड़े समय के लिए अपने माता-पिता के घर ठहरेगी । अपीलार्थियों के अनुसार, प्रत्यर्थी ने उसके पश्चात् अपने दांपत्य-गृह में जाने या अपीलार्थी सं. 14 के साथ सहवास करने से मना कर दिया । अपीलार्थी सं. 14 ने दांपत्य अधिकारों के प्रत्यावर्तन के लिए कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन 2015 की मूल याचिका सं. 11355 फाइल की । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने स्वयं को घरेलू हिंसा से पीड़ित होने का दावा करके अधिनियम की धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश धारा 19 के अधीन निवास के लिए आदेश तथा धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष की ईप्सा करते हुए अपने पति-अपीलार्थी सं. 14, अपने सास-ससुर - अपीलार्थी सं. 1 और 2 और अपने पति के अन्य नातेदारों, जो चेन्नई, राजस्थान और गुजरात में हैं, के विरुद्ध महानगर मजिस्ट्रेट, बंगलुरु के न्यायालय के समक्ष 2015 का दांडिक प्रकीर्ण सं. 53 फाइल किया । विद्वान्

मजिस्ट्रेट, बंगलुरु ने तारीख 16 अप्रैल, 2015 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थियों को सूचना जारी की कि इस न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई याचिका को ग्रहण करने की अधिकारिता है ।

4. अपीलार्थियों ने 2015 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 53 में समन जारी करने से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की और महानगर मजिस्ट्रेट, बंगलुरु की फाइल पर 2015 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 53 में की संपूर्ण कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की ईप्सा की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए परिवाद में प्रत्यर्थी ने भिन्न-भिन्न स्थानों अर्थात् चेन्नई, राजस्थान और गुजरात में घरेलू हिंसा के विभिन्न दृष्टांतों का वर्णन किया गया है और इसलिए बंगलुरु में फाइल किया गया परिवाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अधीन कायम रखने योग्य है । अपीलार्थियों ने व्यथित होकर यह अपील फाइल की है ।

5. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री बालाजी श्रीनिवासन ने यह दलील दी कि न तो पक्षकारों का विवाह बंगलुरु में अनुष्ठापित हुआ था और न ही दांपत्य-गृह बंगलुरु में है, इसलिए बंगलुरु स्थित मजिस्ट्रेट के न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन फाइल की गई याचिका को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि पति-अपीलार्थी सं. 14 के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध अस्पष्ट अभिकथन किए गए हैं जो कतई सिद्ध नहीं होते हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि प्रत्यर्थी ने अपने पति के परिवार के सदस्यों को तंग करने की दृष्टि से अपने पति के परिवार के सभी सदस्यों पर दोषारोपण किया है, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं, जो राजस्थान, गुजरात राज्य में रहते हैं तथा चेन्नई के भी अन्य नातेदार हैं और परिवाद न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग है ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल, सुश्री

निधि ने यह दलील दी कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के फलस्वरूप, उस स्थान के न्यायालय को जहां परिवादी स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करती है या कारोबार करती है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद ग्रहण करने और संरक्षण आदेश तथा अन्य आदेश देने की अधिकारिता है । यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी वर्तमान में महानगर मजिस्ट्रेट, बंगलुरु शहर की राज्यक्षेत्रीय सीमा के भीतर रह रही है और उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि महानगर मजिस्ट्रेट, बंगलुरु को परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता है । प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने परिवाद में किए गए प्रकथनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह दलील दी कि पति-अपीलार्थी सं. 14 और अन्य नातेदारों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कई दृष्टांत हैं, विशिष्ट रूप से अपीलार्थी सं. 1 और 2 - ससुर और सास के विरुद्ध, जो प्रत्यर्थी को तंग कर रहे थे और उन्होंने प्रत्यर्थी के जेवरात ले लिए थे और उस पर संपत्तियों को बेचने के लिए जोर दे रहे थे । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेने के आदेश को अभिखंडित करने से इनकार करके ठीक किया है ।

7. हमने दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर अन्य सामग्री का परिशीलन किया ।

8. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेश के संबंध में है । अधिनियम की धारा 18 के निबंधनों के अनुसार, विधान-मंडल का आशय स्त्री को अधिक संरक्षण प्रदान करना है । अधिनियम की धारा 20 में "व्यथित पक्षकार" को धनीय अनुतोष के लिए आदेश करने के लिए न्यायालय को सशक्त किया गया है । जब घरेलू हिंसा के कृत्यों का अभिकथन किया जाता है, तो सूचना जारी करने से पूर्व न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या यह समाधान कर लेना चाहिए कि घरेलू हिंसा के दृष्टांत रहे हैं ।

9. प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी ने चौदह अपीलार्थियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के अभिकथन किए हैं । अपीलार्थी सं. 14 प्रत्यर्थी का पति है और अपीलार्थी सं. 1 और 2 सास-ससुर हैं । अपीलार्थी सं. 3, 5, 9, 11 और 12 प्रत्यर्थी के ससुर के भाई हैं । अपीलार्थी सं. 4, 6 और 10 क्रमश:

अपीलार्थी सं. 3, 5 और 9 की पत्नियां हैं । अपीलार्थी सं. 7 और 8 अपीलार्थी सं. 1 के माता-पिता हैं । अपीलार्थी सं. 1 से 6 और 14 चेन्नई के निवासी हैं । अपीलार्थी सं. 7 से 10 राजस्थान राज्य के निवासी हैं और अपीलार्थी सं. 11 से 13 गुजरात राज्य के निवासी हैं । स्वीकृतत:, प्रत्यर्थी और अपीलार्थी सं. 1 का दांपत्य-गृह चेन्नई में था । जहां तक अपीलार्थी सं. 14 - प्रत्यर्थी के पति और अपीलार्थी सं. 1 और 2 - सास-ससुर का संबंध है, यह अभिकथन करते हुए घरेलू हिंसा के अभिकथन किए गए हैं कि उन्होंने प्रत्यर्थी के माता-पिता द्वारा विवाह के दौरान उसे उपहार में दिए गए जेवरात छीन लिए थे और प्रत्यर्थी को तंग करने के अभिकथित कृत्य किए थे । ऐसे कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं हैं कि अपीलार्थी सं. 14 के अन्य नातेदारों ने कैसे घरेलू हिंसा के कृत्य किए थे । यह भी ज्ञात नहीं हैं अन्य नातेदारों को, जो गुजरात और राजस्थान के निवासी हैं, कैसे प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । उच्च न्यायालय का यह कहना ठीक नहीं था कि अन्य अपीलार्थी सं. 3 से 13 के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । चूंकि अपीलार्थी सं. 3 से 13 के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किए गए हैं, इसलिए उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा का आपराधिक मामला जारी नहीं रखा जा सकता है और अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

10. जहां तक बंगलुरु स्थिति न्यायालय की अधिकारिता का संबंध है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, यह घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आता है । अधिनियम की धारा 27 निम्न प्रकार से है :-

> "27. अधिकारिता - (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिनकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, -
>
> (क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है; या
>
> (ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है; या

(ग) हेतुक उद्भुत होता है,

इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा ।"

उपरोक्त उपबंध को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन याचिका उस न्यायालय में फाइल की जा सकती है, जहां "व्यथित व्यक्ति" स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है । प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के साथ महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, बंगलुरु की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर निवास कर रही है । अधिनियम की धारा 27(1)(क) को देखते हुए, महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, बंगलुरु को परिवाद ग्रहण करने और अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता है । महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, बंगलुरु की अधिकारिता के बारे में आक्षेप करते हुए दी गई दलील में कोई गुणागुण नहीं है ।

11. परिणामत:, अपीलार्थी सं. 3 से 13 के विरुद्ध फाइल किया गया 2015 का दांडिक प्रकीर्ण सं. 53 अभिखंडित किया जाता है और यह अपील भागत: मंजूर की जाती है । विद्वान् षष्ठम् अपर महानगर मजिस्ट्रेट, बंगलुरु अपीलार्थी सं. 1, 2 और 14 के विरुद्ध 2015 के दांडिक प्रकीर्ण सं. 53 में कार्यवाही करेगा और विधि के अनुसार निपटारा करेगा । हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.